



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 11, 2018/ वैशाख 21, 1940

No. 173]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 11, 2018/VAISAKHA 21, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2018

सं. 07/2015-2020

विषय : विदेश व्यापार नीति 2015-20 के परिशिष्ट-3 ख में संशोधन।

फा. सं. 1/61/180/68/एम15/पीसी-3.—विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैराग्राफ 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा इस महानिदेशालय द्वारा पूर्व में जारी निम्नलिखित सार्वजनिक सूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

क्र० सं०	सार्वजनिक सूचना संख्या	सार्वजनिक सूचना के अनुसार मौजूदा पैरा	सार्वजनिक सूचना में संशोधित पैरा
1	42/2015-20 दिनांक 24.11.2017	2. निम्नलिखित आईटीसी एचएस कोडों के लिए एमईआईएस दरें कॉलम 4 के अनुसार बढ़ाई गई हैं, तथापि ये दरें 01.11.2017 से 30.06.2018 तक वैध रहेंगी।	“01.11.2017 से आगे निर्यात के लिए निम्नलिखित आईटीसी एचएस कोडों के लिए एमईआईएस दरें कॉलम 4 के अनुसार बढ़ाई जाती हैं,
2	44/2015-20 दिनांक 05.12.2017	2. “... इस सार्वजनिक सूचना के तहत संशोधित दरें दिनांक 01.11.2017 से 30.06.2018 तक किए गए निर्यात के लिए लागू होंगी।	2. “... इस सार्वजनिक सूचना के तहत संशोधित दरें दिनांक 01.11.2017 से आगे किए गए निर्यात के लिए लागू होंगी।
3	2/2015-2020 दिनांक 01.05.2018	पैरा 2 कॉलम (5) का शीर्ष—“01.11.2017 से 30.06.2018 तक के लिए एमईआईएस दर”	पैरा 2 कॉलम (5) का शीर्ष—“01.11.2017 से आगे के लिए एमईआईएस दर”

4	45/2015-20 दिनांक 05.12.2017	परिशिष्ट 3 घ का अनुलग्नक टिप्पणी 1 : इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक के अनुसार सेवाओं और प्रतिफलों की दरें केवल 01.04.2017 से 31.03.2018 के बीच किए गए सेवा निर्यात के लिए लागू होंगी। सेवा/दर की सूची दिनांक 01.04.2018 से समीक्षा के अधीन है।	परिशिष्ट 3 घ का अनुलग्नक टिप्पणी 1 : सार्वजनिक सूचना सं० 45/2015-20 दिनांक 05.12.2017 के अनुलग्नक के अनुसार सेवाओं और प्रतिफलों की दरें 01.04.2017 से 31.03.2018 के बीच किए गए सेवा निर्यात के लिए लागू होंगी। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रभावी सेवाओं की दरें सार्वजनिक सूचना 45/2015-20 दिनांक 05.12.2017 के अनुलग्नक के कॉलम सं० 5 में उल्लिखित दरों के अनुसार होंगी।
---	---------------------------------	--	---

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: परिशिष्ट 3 ख में एमईआईएस/परिशिष्ट 3 घ में सेवा श्रेणियों के तहत मदों की दरें जिन्हें मध्यावधि समीक्षा में बढ़ाया गया था, 30.06.2018 से आगे भी जारी रहेंगी।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 11th May, 2018

No. 07/2015-2020

Subject : Amendments in Appendix 3B of the Foreign Trade Policy 2015-20.

F. No. 01/61/180/68/AM15/PC-3.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the following Public Notices issued earlier by this Directorate

Sl no.	Public Notice Number	Existing Para as per Public notice	Amended para in the Public Notice
1	42 / 2015-20 Dated 24.11.2017	2. MEIS rates for the following ITC HS Codes are enhanced as per column 4, however these rates shall be valid from 01.11.2017 to 30.06.2018	2. MEIS rates for the following ITC HS Codes are enhanced as per column 4, for exports from 01.11.2017 onwards”
2	44/ 2015-20 Dated 05.12.2017	2. “.... The revised rates under this Public Notice shall be applicable for exports made w.e.f. 01.11.2017 to 30.06.2018”	2. “...The revised rates under this Public Notice shall be applicable for exports made w.e.f. 01.11.2017 onwards”
3	2/ 2015-2020 Dated 01.05.2018	Para 2. Heading of Column (5) – “MEIS Rate from 01.11.2017 to 30.06.2018”	Para 2. Heading of Column (5) – “MEIS rate from 01.11.2017 onwards”
4	45/ 2015-20 Dated 05.12.2017	Annexure to Appendix 3D Note 1: The services and rates of rewards as per the Annexure to this Public Notice shall be applicable for services export made between 01.04.2017 to 31.03.2018 only. The	Annexure to Appendix 3D Note 1: The services and rates of rewards as per the Annexure to Public Notice 45/2015-20 dated 05.12.2017 shall be applicable for services export made between 01.04.2017 to 31.03.2018. And,

		list of services/ rate is subject to review with effect from 01.04.2018	the rates for services w.e.f. financial year FY 2018-19 would be as per the rates mentioned in the Column Number 5 of the Annexure to the Public Notice 45/2015-20 dated 05.12.2017
--	--	---	---

Effect of Public Notice : The rates for items under MEIS Appendix 3B / Service categories in Appendix 3D which were enhanced in the Mid Term Review are continued beyond 30.06.2018.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade